Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release 21-10-2025

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025: मतदान पूर्व और मतदान दिवस पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा प्रिंट विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन

जयपुर, 21 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों की तारिखों की घोषणा कर दी है। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) निर्धारित की गई हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि निष्पक्ष प्रचार का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि सामग्री राज्य/जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो।

बिहार के लिए प्रतिबंधित दिन 5 व 6 नवंबर, 2025 (चरण-I के लिए) और 10 व 11 नवंबर, 2025 (चरण-II के लिए) हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रतिबंधित दिन 10 व 11 नवंबर, 2025 हैं।

प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहने वाले आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा।

समय पर पूर्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए, राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय किया गया है ताकि ऐसे विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणन किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय शीघ्रता से लिए जाएं।